न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 44/2014

सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड

.....प्रार्थी

बनाम

श्री राधाकिशन पुत्र श्री श्योजी जाति गूजर निवासी ग्राम जडाना तहसील सरवाड जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवे पम्प सैट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 13

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
2. श्री मदन लाल गूजर वकील अप्रार्थी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक 06.05.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा अपने आदेश क्रमांक/उखस/चाह नियमन/10/63 दिनांक 21.07.2011 से श्री राधाकिशन पुत्र श्री श्योजी जाति गूजर निवासी ग्राम जडाना तहसील सरवाड के पक्ष में ग्राम जडाना के आराजी खसरा नम्बर 166 कुल रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में से 0.05 बिस्वा भूमि पर चाह नियमन भूमि की कीमतन मय कतिपय शर्तो पर किया गया। अप्रार्थी द्वारा चाह नियमन की शर्तो का उल्लंघन कर कुए का उपयोग अवैघ रूप से खनन कार्य में करने के कारण तहसीलदार सरवाड द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये चाह नियमन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तू काफी समय दिये जाने के बावजूद जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में आये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में सिंचाई प्रयोजनार्थ चाह का नियमन कतिपय शर्तो के साथ किया गया था, किन्तू अप्रार्थी द्वारा उक्त चाह का उपयोग अवैध रूप से खनन कर पत्थर निकालना प्रारंभ कर चाह के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। पैरोकार सरकार ने आगे कथन

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने के कारण सहायक खनि अभियंता सावर ने अप्रार्थी के विरूद्व पुलिस थाना सरवाड में धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 P.P.P.D. एक्ट तथा एस.एस.आर.डी.एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण भी दर्ज करवाया है जिसमें उनके विरूद्व कार्यवाही विचाराधीन है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया चाह नियमन निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना में पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। अप्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में चाह नियमन दिनांक से निरंतर अपने खेतों की सिंचाई की जा रही है। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 166 का कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा है। इतने बडे क्षेत्रफल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। अप्रार्थी का चाह मौके पर मौजूद है तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार से नियमन शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है। विवादित खसरा नम्बर में अवैध खनन बाबत अप्रार्थी का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.2014 को तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। उनके द्वारा मौका निरीक्षण के समय किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य के रूप में कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये तथा न ही मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थी को कोई सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के विरूद्व पुलिस थाना सरवाड में दर्ज प्रकरण बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में हुए चाह नियमन की शर्तो का उल्लंधन करते हुए चाह से सिंचाई न कर अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जाकर चाह का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अवैध खनन कार्य करने पर अप्रार्थी के विरूद्व सहायक खनि अभियंता सरवाड द्वारा पुलिस थाना सरवाड में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है जिसमें कार्यवाही विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त कथन मानने योग्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम जडाना के खसरा नम्बर 166 में से 0.05 बिस्वा चाह नियमन निरस्त किया जाकर चाह राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक **06.05.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner